पत्रांक–सं0सं0–02/उ0नि0/विविध/14–06/2009

बिहार सरकार

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

प्रेषकः–

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. **प्रबंध निदेशक,**
बियाडा, बिहार।

2. **सभी महाप्रबंधक,**
जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।

पटना, दिनांक .....

विषयः– वातावरण में प्रदूषण फैलने के कारणों, फैले प्रदूषण का नियंत्रण एवं पर्यावरण–बचाव के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार विधान परिषद सचिवालय का पत्रांक–1136, दिनांक–25.04.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सुचित किया गया है कि विषयांकित मामले पर परिषद् की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की दिनांक–22.02.2019 को एक बैठक आहुत की गई थी जिसमें विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त विषय पर संबंधित विभाग से प्रतिवेदन की माँग कि जाय। तद्नुसार उद्योग विभाग से संबंधित हस्तालिखित प्रतिवेदन संलग्न की गई है।

अत्एव प्राप्त पत्र एवं संलग्न प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि वांछित कंडिकावार प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि अग्रेतर कारवाई की जा सकें।

अनुः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...2099...../ पटना/दिनांक...30.05.19

प्रतिलिपिः– उपसचिव बिहार बिधान परिषद सचिवालय बिहार, पटना को उक्त प्रासंगिक–पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

Vishwanath sec-02

पत्रांक वि.प.पर्या.एवं प्रदू.नि.-09/2018- 1136 (2) वि.प.

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

प्रेषक:

आफताब हबीब
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार,पटना
प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

पटना,दिनांक- 25.04.2019

विषय: वातावरण में प्रदूषण फैलने के कारणों, फैले प्रदूषण का नियंत्रण एवं पर्यावरण-बचाव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि विषयांकित मामले पर बिहार विधान परिषद् की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की दिनांक-22.02.2019 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया । विचारोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति की दिनांक-18.12.2018 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में परिषद् सचिवालय के पत्रांक-2690(2) वि.प. दिनांक-24.12.2018 द्वारा पत्र के साथ महत्वपूर्ण विषय प्रतिवेदन देने में सुविधा हेतु भेजा गया था। समिति ने निर्णय लिया कि उक्त विषयों पर संबंधित विभाग से पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन की मांग की जाय।

अत: उक्त बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र के साथ भेजे गये महत्वपूर्ण विषय (संलग्न) कार्यान्वयन प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर परिषद् सचिवालय को प्राप्त कराने की कृपा की जाय, ताकि वस्तुस्थिति से समिति को अवगत कराया जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(आफताब हबीब)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

उद्योग विभाग

1. राज्य में संचालित सभी कारखानों में शुद्ध जलापूर्ति ट्रीटमेंट प्लांट एवं सभी बड़े भवनों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाये गये हैं या नहीं। यदि यह प्लांट लगाये गये हैं तो वे कहां-कहां हैं और कहां-कहां बाकी हैं, सूची उपलब्ध करायें।

2. खेतों के उर्वराशक्ति को प्रभावित करनेवाले, गर्म पेय-पदार्थ से कैंसर रोग की वृद्धि करने वाले, जल-प्रवाह को रोकनेवाले प्लास्टिक ~~[illegible]~~ उत्पाद के निर्माण करनेवाली कम्पनी को किस परिस्थिति में लाईसेंस देकर 50 माईक्रोन्स से अधिक या कम मोटाई के प्लास्टिक उत्पाद निर्माण ~~करवा~~ कर बाजार में बेचवाकर जल प्रदुषित की जा रही है?

3. वायु और जल प्रदुषण रहित कागज, जूट एवं कपड़ों से बने थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी व्यवस्था की जा रही है।

4. खान एवं भू-तत्व विभाग के पत्रांक- 6378/एम दि० 13.09.1986 एवं पत्रांक - 11 दिनांक - 02.02.1979 द्वारा कुम्भकारी की बरतनें बनाने हेतु मिट्टी, बालू, पानी से वायु एवं जल प्रदुषण रहित मिट्टी के उत्पाद के निर्माण एवं वितरण में सरकारी सहायता प्रदान हेतु सभी समाहर्त्ता को दिये गये निर्देश का अनुपालन करने के लिए एकांगी बिहार राज्य माटीकला बोर्ड का गठन करने के स्थान पर उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना/ हैराको? से चर्म-कला, हस्तकला, काष्ठ कला आदि बहुआयामी कला के साथ माटीकला को किस परिस्थिति में कुंद की जा रही है और कब तक मिट्टी का उत्पाद यथा- घड़ा, हड़िया, कड़ाही, चुक्का, कपटी, दीया, चाय-दूध-चीनी का प्याली, सुराही, लबनी, बच्चों के खिलौने, छोटे-बड़े मूर्तियाँ, दूध-दही रखने के बरतनें, घर सजावट के ~~क~~ मूर्तियाँ एवं आकृतियाँ आदि वायु प्रदुषण और जल प्रदुषण रहित है, को आमजन के स्वास्थ्य रक्षा हेतु उनके समक्ष उपलब्ध करा देगी?

P.T.O. — 2

(248[illegible])

5. मानव-जीवन, जन्तु, वनस्पति एवं पर्यावरण के नुकसान से बचाव हेतु सीमेंट, चीनी मिल, चावल मिल, ईंट भट्ठा चिमनी, प्लास्टिक उत्पादक निर्माण फैक्ट्रियों से निकले धुआँ और धूल की गंभीर समस्या का निवारण सख्ती से की जा रही है या नहीं।

6. सौर्य ऊर्जा और विद्युत से चालित वाहनों के निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है या नहीं

Sunil